



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 62 राँची, शुक्रवार,

3 फरवरी, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

3 जनवरी, 2023

विषय:- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी का समर्थन कर रहे कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कांडों की वापसी के संबंध में ।

संख्या-10/मु०व०-101/2020-29--मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1625/30.12.2019 की कंडिका-2 द्वारा दिनांक-29.12.2019 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-3 में "अन्यान्वय" के रूप में लिये गये निर्णय यथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमों दायर किये गये हैं, उन्हें वापस लेने तथा तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। तदक्रम में विभागीय पत्रांक-501, दिनांक-28.01.2020 (पत्थलगड़ी से संबंधित) एवं विभागीय पत्रांक-502, दिनांक-28.01.2020 (CNT/SPT से संबंधित) द्वारा मुकदमों की वापसी के बिन्दु पर उपायुक्त की अध्यक्षता में वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं वरीय लोक अभियोजक/लोक अभियोजक की जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था ।

2. उक्त के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्तों से त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा सहित मुकदमा वापसी (पत्थलगड़ी एवं CNT/SPT से संबंधित दर्ज कांडों की) संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1824, दिनांक-31.03.2021 द्वारा पत्थलगड़ी के एवं CNT/SPT के मुकदमों का प्रत्याहरण किया गया। उक्त संकल्प में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्यान्तर्गत पत्थलगड़ी का समर्थन एवं CNT/SPT Act में संशोधन का विरोध करने के फलस्वरूप दर्ज कांडों/मुकदमों के इस प्रत्याहरण के पश्चात् भी वर्ष 2016, 2017, 2018 में यदि कोई मामला प्रत्याहरण हेतु जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के संज्ञान में आता है, तो उन मामलों का अनुशंसा सहित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-465/वि०, दिनांक-03.09.2022 द्वारा लोहरदगा थाना कांड संख्या-205/16, दिनांक-02.12.2016, जी०आर० संख्या-695/16 की वापसी का प्रस्ताव त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

3. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में लोहरदगा थाना कांड संख्या-205/16, दिनांक-02.12.2016, जी०आर० संख्या-695/16 के प्रत्याहरित किया जाता है। तदनुसार उपायुक्त, लोहरदगा अनुवक्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
